सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)
एवं कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर,डीग

प्र0सं0 17/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2024/221) पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. रोहताश
2. संजय } पुत्र स्व. रामदयाल } जातियान जाटव नि0 गिरसै तहसील जनूथर
3. सोनदेई पत्नी स्व. रामदयाल (मृतक)
4. महादेई
5. लक्ष्मी } जाति जाटव नि0 कस्बा नगर वारिस काबिज जायदाद बसंती पुत्री स्व. रामदयाल
6. महेन्द्र

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 08.03.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 900/0.48, 901/0.28, 902/0.30, 903/0.33, 904/0.02, 905/0.17, 906/0.16, 907/0.22, 908/0.22, 912/0.19 वाके ग्राम नरायना कटता तहसील डीग में स्थित है का हि0 1/6 है जो साविक खसरा नम्बरान 587, 588, 589, 590, 591 वाके ग्राम नरायना कटता तहसील डीग से हाल वन्दोवस्त में बनाये गये है। उक्त आराजी के गत खसरा नम्बरान की आराजी को प्रार्थीगण के पिता पति व नाना रामदयाल पुत्र सुम्मेरा ने अपने खास भाई भूप सिंह,संतोकी, व करकल्ली,रामदयाल,सीयाराम व लक्ष्मन पुत्रगण सुम्मेरा के साथ मिलकर दिनांक 21.06.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया था। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 181 दिनांक 30.06.1974 को ग्राम पान्होरी द्वारा मुताविक बयनामा क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत कर इन्द्राज खातेदारी दर्ज की गई।जिसमें प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का नाम रामदयाल सही तरीके से मुताविक बयनामा दर्ज किया गया किन्तु उक्त नामा0 के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा आगे इन्द्राज करते समय प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का नाम रामदयाल के स्थान पर हरदयाल दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का सही नाम रामदयाल है जोकि उसके समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र आदि में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का दिनांक 23.03.2017 को देहान्त हो चुका है। जिसके वाद से उक्त आराजी पर प्रार्थीगण बतौर वारिस काबिज है। प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का नाम आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र में रामदयाल के स्थान पर हरदयाल दर्ज होने से प्रार्थीगण के नाम नामा0 दर्ज नहीं हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 900/0.48, 901/0.28, 902/0.30, 903/0.33, 904/0.02, 905/0.17, 906/0.16, 907/0.22, 908/0.22, 912/0.19 वाके ग्राम नरायना कटता तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का नाम हरदयाल पुत्र सुम्मेरा के स्थान पर रामदयाल पुत्र सुम्मेरा दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2024/2712 दिनांक 06.11.2024 में अंकित किया गया है कि मुताविक जमाबन्दी चौसाला 2075–78 वाके ग्राम नरायना कटता के आराजी खसरा नम्बर 900 रकबा 2.37 हैक्टे0 हरदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 जाति जाटव सा0 गिरसै खातेदार शेष बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.06.1974 से रोशन भूपसिंह सामल पिस0 तोता कॉम जाट सा0 नरायना कटता से भूपसिंह,रामदयाल,करकल्ली,रामलाल,सियाराम,लक्ष्मण पिस0 सुम्मेरा कॉम जाटव नि0 गिरसै व हिस्सा बरावर उक्त खसरा नम्बरान का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया गया था। जिसका अमल नामा0 संख्या 181 दिनांक 30.06.1974 में रामदयाल पुत्र सुम्मेरा के नाम ही नामा0 दर्ज किया गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम नरायना कटता जमाबन्दी सम्बत 2075–2078 के खाता संख्या 146 मे रामदयाल पुत्र सुम्मेरा के स्थान पर हरदयाल पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव सा0 गिरसै दर्ज रिकार्ड हो गया है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल के साविक खसरा नम्बर 587, 588, 589, 590, 591 से नये आराजी खसरा नम्बर 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 और 912 बने है। रजिस्टर्ड बयनामा नामा0 संख्या 181 नरायना कटता के खाता संख्या 146 में हरदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 जाति जाटव के स्थान पर रामदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 जाति जाटव सा0 गिरसै खातेदार शुद्व किया जाना प्रस्तावित है।

बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बरान 900/0.48, 901/0.28, 902/0.30, 903/0.33, 904/0.02, 905/0.17, 906/0.16, 907/0.22, 908/0.22, 912/0.19 वाके ग्राम नरायना कटता तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता पति व नाना का नाम हरदयाल पुत्र सुम्मेरा के स्थान पर रामदयाल पुत्र सुम्मेरा दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार डीग की रिपोर्ट, प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2075–2078 हाल खसरा नम्बर 900,901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 912 में रामलाल पुत्र सुम्मेरा हिस्सा 1/6 जाति जाटव सा0 गिरसै खातेदार दर्ज है। हरदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 जाति जाटव सा0 गिरसै खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 के अनुसार जो साविक खसरा नम्बरान 587, 588, 589, 590, 591 से बने है। प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1974 के अनुसार रोशन व भूप सिंह,सामल,तोता निवासी नरायना कटता तहसील डीग ने साविक खसरा नम्बरान 587, 588, 589, 590, 591 को भूप सिंह,रामदयाल व नथोली व करकल्ली व रामलाल व सीयाराम लक्ष्मन पिस0 सुम्मेरा को विक्रय किया है। प्रदर्श–3 नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 30.06.1974 उक्त बयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसके कॉलम नम्बर 11 में भूप सिंह रामदयाल,करकल्ली व रामदयाल व सीयाराम लक्ष्मन पिस0 सुम्मेरा दर्ज है। प्रदर्श–1, 2, 3, 4 के परीक्षण से स्पष्ट है कि जमाबन्दी के खाता संख्या 146 मे हरदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 गलत दर्ज है। उक्त प्रबिष्टि के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पर रामदयाल पुत्र सुम्मेरा हि0 1/6 जाति जाटव सा0 गिरसै खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 900/0.48, 901/0.28, 902/0.30, 903/0.33, 904/0.02, 905/0.17, 906/0.16, 907/0.22, 908/0.22, 912/0.19 वाके ग्राम नरायना कटता तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता,पति व नाना का नाम हरदयाल पुत्र सुम्मेरा के स्थान पर रामदयाल पुत्र सुम्मेरा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.